

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -345 / 2013 / टोक

सुशीला ओवरसीज़, देवली,

.....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

टॉक ।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.एल.पाटोडी,

सुश्री ईशु जैन, सी.ए.

अभिभाषकगण।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय

दिनांक :24.08.2015

1. अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), अजमेर, कैम्प-कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2012 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 15/वैट/2011-12/टोक के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोक (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24(6) के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 की अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभाग द्वारा स्थापित जांच चौकी पर जमा करवायी गयी कर राशि रु. 2,78,660/- का समायोजन अस्वीकार करने संबंध में पारित आदेश दिनांक 26.08.2011 की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का मूल निर्धारण आदेश प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2009 को पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय जांच चौकी पर जमा करवायी गयी कर राशि रु.2,78,660/- का समायोजन अस्वीकार कर दिया गया। उक्त पारित निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये आदेश दिनांक 31.07.2009 के स्वीकार कर, प्रकरण को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि यदि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय जांच चौकी पर जमा करवायी कर की राशि कर मुक्ति शुल्क के रूप में जमा करवायी गयी है तो उक्त का समायोजन नहीं दिया जाये परन्तु यदि कर की राशि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर/वैट के रूप में जमा करवायी गयी है तो उक्त जमा करवायी गयी राशि का समायोजन अपीलार्थी व्यवहारी को दिया जाये। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना में आदेश दिनांक 26.08.2011 पारित कर, चाहे गये समायोजन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त राशि विभाग द्वारा स्थापित जांच चौकी पर विभिन्न ठेकेदारों को

लगातार.....2

अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2006 के क्रम में कर मुक्ति शुल्क के रूप में प्रति वाहन जमा करवायी गयी है, न कि कर के रूप में। उक्त पारित आदेश दिनांक 26.08.2011 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये आदेश दिनांक 27.11.2012 के अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषकगण ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न अपंजीकृत व्यवहारियों से सैण्ड स्टोन क्रय किया है एवम् उक्त सैण्ड स्टोन पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय जांच चौकी पर कर जमा करवाया गया है। कथन किया कि उक्त कर की रसीदों को वक्त निर्धारण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष मय सूची के प्रपत्र वैट-07 में प्रस्तुत की गई थीं परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत रसीदों का समायोजन प्रदान नहीं किया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 31.07.2009 के प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि सत्यापन के पश्चात् प्रस्तुत की गयी रसीदों का समायोजन दिया जाये। परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर, यह निर्धारित किया कि रसीदों के जरिये विभागीय जांच चौकी पर जमा करवाये गये कर का समायोजन नहीं दिया जा सकता जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, चाहे गये समायोजन को प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभिन्न अपंजीकृत व्यवहारियों से सैण्ड स्टोन क्रय किया गया एवम् सैण्ड स्टोन पर कर वसूली के लिये विभाग द्वारा स्थापित जांच चौकी पर कर का भुगतान करना प्रकट किया गया। इस संबंध में विभागीय जांच चौकी पर सैण्ड स्टोन पर वसूल किये गये कर/मुक्ति शुल्क की राशि समायोजन जरिये रसीद/प्रपत्र वैट-07 जिसमें वाहन संख्या अंकित है, का आगत कर का मुजरा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा चाहा गया है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 18 व राजथान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 (जिसे आगे “नियम” कहा जायेगा) के नियम 18 के अन्तर्गत आगत कर के मुजरा संबंधी प्रावधान हैं जिनका अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि पंजीकृत व्यवहारियों से इन्वॉयस के जरिये माल क्रय करने पर इन्वॉयस में वसूल किये गये कर/वैट का अन्य शर्तों के साथ आगत कर का मुजरा स्वीकार करने संबंधी प्रावधान हैं। परिवहन किये गये पत्थर पर विभाग के अधिकृत ठेकेदार को प्रति ट्रक कर खरीद किये गये हैं। परन्तु उक्त चुकाई गई राशि का



समायोजन नहीं दिये जाने का प्रश्न है, विद्वान् अधिकृत प्रतिनिधि का यह कथन विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है कि जब वह बजरी व पत्थर को परिवहन कर रहा था तो विभागीय ठेकेदार ने अपनी रसीद के माध्यम से कर वसूल कर लिया एवम् उक्त पर पुनः संविदा में प्रयुक्त करने पर उक्त राशि समायोजन योग्य है। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार से रसीद वैट 39 से प्रतिवाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी ने जिस अपंजीकृत व्यवहारी से क्य किया है उसके लिये कर मुक्त है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विभागीय ठेकेदार को रसीद वैट 39 के माध्यम से प्रति वाहन मुक्ति शुल्क जमा करवाया है। जो आकस्मिक माल होने के कारण क्षेत्र विशेष हेतु प्रवृत्त नियम 44 के प्रयोजनार्थ अधिकृत ठेकेदार को आकस्मिक माल के खरीद संबंधित पर उत्पन्न दायित्व वहत किया गया है, जो वस्तुतः विकेता अपंजीकृत/पंजीकृत व्यवहारी का था परन्तु अधिसूचना दिनांक 11.09.2006 के तहत विहित कर मुक्त शुल्क चुकाने पर कर मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8(3) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 12(63)एफडी/टैक्स/2005-86 दिनांक 11.09.2006 के जरिये राज्य सरकार द्वारा उक्त आकस्मिक माल पर प्रति वाहन कर मुक्ति शुल्क का दायित्व निर्धारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का अध्ययन किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार है:-

S.No. 2135F.12(63)FD/Tax/2005-85 Dated : 11-09-2006

In exercise of the powers confereed by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003(Rajasthan Act NO.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in Schedule-II appended to the said Act; namely:-

AMENDMENT

In Schedule-II appended to the said Act, after the existing S.No. 14 the following new S. No. 15 and entries shall be inserted, namely:-

15	Dealer of person who carried or carried or causes to be carried vehicle or carrier goods liable to pay tax under sub-section (1) of section 6 of the Act.
----	---

S.No. 2135F.12(63)FD/Tax/2005-85 Dated : 11-09-2006

In exercise of the powers confereed by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 4 of 2003) The State Government being of the opinion the it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, dealer or person, from tax payable, under sub-section (1) of section 6, on sale or purchase of


goods, mentioned in column No. 2 of the list appended hereunder, carried or caused to be carried through vehicle or carrier, on the condition that such dealer or person, pays exemption fee as specified in respect of such goods as mentioned against each in Column No. 3 thereof, namely :-

Exemption Fee per Truck

S.No.	Description of goods	Exemption fee per Truck
2	Building Stone excluding all varieties or marbel (d) districts Bhilwara, Kota, Bundi, Chittorgarh and Jhalawar Patti/roof slabs, Aslet (a) Districts Bhilwara, Bundi, Kota and Jhalawar	Block : Rs. 1500/-
4		Rs. 1400/-

7. उपरोक्त अधिसूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता के स्तर पर कर दायित्व को उपरोक्तानुसार मुक्ति शुल्क जमा करवाने की शर्त पर प्रशमित किया गया है।
8. यदि यह मान भी लिया जावे कि अपीलार्थी के खातों से मुक्ति शुल्क जमा हुआ है तो भी अपीलार्थी व्यवहारी ने केवल कर मुक्ति शुल्क तदसंबंधित क्य संव्यवहारों पर जमा करवाया है। उक्त कर मुक्ति शुल्क अपीलार्थी व्यवहारी की देयता के विरुद्ध समायोजन योग्य नहीं है एवम् न ही धारा 18 के प्रावधानों के आलोक में, इस पर आगत कर का मुजरा देय है। कर बोर्ड के प्रोद्वरित न्यायिक दृष्टांत का प्रश्न है, उक्त न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है, चूंकि हाल ही राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा मैसर्स गौतम एन्टरप्राइजेज शाहपुरा बनाम वाणिज्य कर अधिकारी अपील संख्या 2239/2011 आदेश दिनांक 25.02.2014 तथा पश्चातवर्ती समान तथ्याधारित अनेक प्रकरणों में राजस्थान कर बोर्ड का निरन्तर उपरोक्त विवेचनानुसार ही मत रहा है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। फलस्वरूप, अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।


 24.8.2015
 (मदन लाल)
 सदस्य